Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- श्रीगंगानगर में अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज रायसिंहनगर 40,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2026, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर** को परिवादी से उसकी फर्म द्वारा वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन पड़ने वाली दो अलग–अलग माईनरो(छोटी नहर)से पेड़ो के ठूंठ निकालने के करवाये जा रहे कार्य एवं कार्य पूर्ण होने पर उसकी एनओसी जारी करने की एवज में 40,000/– रूपये बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी श्रीगंगानगर को परिवादी की एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसकी फर्म द्वारा वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन पड़ने वाली दो अलग–अलग माईनरो (छोटी नहर)से पेड़ो के ठूंठ निकालने के लिये दिए गये ठेके की एवज में आरोपी द्वारा कमीशन /रिश्वत के एक लाख रूपये की मांग की गई, रिश्वत नही देने पर फर्म को ब्लेक लिस्ट करने व उक्त दोनो कार्यों की एनओसी जारी नही करने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा है ।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरविजन में एसीबी श्रीगंगानगर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा** भ्रनिब्यूरो, श्रीगंगानगर के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार** एवं ब्यूरो स्टाफ के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 40,000/– रूपये बतौर रिश्वत रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** एवं **महानिरीक्षक श्रीमती एस परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।